न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 17/2019

हरीकृष्ण पुत्र बद्रीनारायण जाति नाई निवासी चक 3 एसटीआर तहसील घडसाना
(निगरानीकर्ता)

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र सुरजभान जाति अग्रवाल निवासी चक 3 एसटीआर तहसील घडसाना
2. कृष्णा देवी पत्नी छज्जुराम जाति अग्रवाल निवासी चक 3 एसटीआर तहसील घडसाना
3. सरपंच ग्राम पंचायत चक 24 ए.एस.'सी' तहसील घडसाना
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति घडसाना

(गैरनिगरानीकर्ता)

निगरानी अन्तर्गत धारा 96, 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री श्याम सुन्दर चाण्डक अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1, 2

निर्णय दिनांकः–20.11.2020

1. यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चक 24 ए.एस. 'सी' जिसकी रूह से पट्टा संख्या 27 पुस्तक संख्या 20 व संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.06.2014 को सरकारी रास्ते का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 व 02 के नाम संयुक्त रूप से जारी किया गया है के विरूद्व दिनांक 21.06.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने जरिये अधिवक्ता निगरानी पेश कर निवेदन किया कि सरंपच एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत चक 24 एएस 'सी' ने दिनांक 23.06.2014 को पट्टा संख्या 27 पुस्तक संख्या 20 व संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.06.2014 द्वारा सरकारी रास्ता का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 के नाम से सयुंक्त रूप से जारी कर दिया। उक्त पट्टा पुराना कब्जा नियमितिकरण नियम 157 (01) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल तैयार किये गये व बिना आपति नोटिस जारी किये व बिना मौका देखे यह आदेश पारित कर दिया। नियम 157 क (01) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में 300 वर्गगज का पट्टा जारी किया जा सकता था परन्तु गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ने नियमो के विपरीत ही लाखो रूपः की भूमि का पट्टा जारी कर सरकार को भारी नुकसान पंहुचाया है। उक्त पट्टे के पश्चिम में 13.6 गुणा 29 वर्गफुट का सरकारी रास्ता था जिसमें सरपंच ग्रम पंचायत चक 24 एएस'सी' ने बिना जांच किये ही पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी कर दिया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार की जावे।
3. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार व गैरगिरानीकर्ता संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम चाण्डक एवं संजय कालीया हाजिर आये। तत्उपरान्त निगरानी में जारी स्थगन की अवेहलना पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर विकास अधिकारी की मौका रिर्पोट व नजरिया नक्शा व फोटो शामिल मिसल की गई तत्उपरान्त वकील

20/11/20
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

गैरनिगरानीकर्ता द्वारा मौका रिपोर्ट की जांच स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया दिनांक 14.10.2020 को गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आदेश 41 नियम 27 व 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय 3 नम्बर फार्म प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा मजीद बहस होने के उपरान्त पेश होने पर आपति उठाई गई।

4. योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी मेमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि सरंपच एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत चक 24 एएस 'सी' ने दिनांक 23.06.2014 को पट्टा संख्या 27 पुस्तक संख्या 20 व संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.06.2014 द्वारा सरकारी रास्ता का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 के नाम से सयुंक्त रूप से जारी कर दिया। उक्त पट्टा पुराना कब्जा नियमितिकरण नियम 157 क (01) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल तैयार किये गये व बिना आपति नोटिस जारी किये व बिना मौका देखे यह आदेश पारित कर दिया। नियम 157 (01) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में 300 वर्गगज का पट्टा जारी किया जा सकता था परन्तु गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ने नियमो के विपरीत ही लाखो रूपये की भूमि का पट्टा जारी कर सरकार को भारी नुकसान पंहुचाया है। गैर निगरानीकर्तागण को जो जारी उक्त पट्टे के पश्चिम में 13.6 गुणा 29 वर्गफुट का सरकारी रास्ता था जिसकी जांच किये बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत चक 24 एएस'सी' ने पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी कर दिया। वर्तमान वस्तुथिति का नजरी नक्शा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति घडसाना की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.06.2019 व रिपोर्ट के संलग्न विवादित भूमि का मौका गैर निगरानीकर्तागण राकेश एवं कृष्णादेवी के पट्टे के पश्चिम की तरफ तथा निगरानीकर्ता हरिकृष्ण के पट्टे से पूर्व की तरफ आम रास्ता को दर्शाता है। उक्त नक्शा से सावित है कि उक्त रास्ता 13.6 गुणा 29 वर्गफुट चौडाई में है। यानि प्रार्थी के घर के आगे 30 फुट सरकारी रास्ता छोडा गया है। मगर गैरानिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने उक्त 30 फुट रास्ता मे से तथाकथित तरीके से गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 से मिलीभगती कर 13.6 गुणा 29 वर्गफुट रास्ता का पट्टा जारी करवा लिया है। जो काबिले निरस्ती है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टा के आधार पर रास्ता की जगह पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा था, तब निगरानीकर्ता की पत्नी गीतादेवी द्वारा विकास अधिकारी, घडसाना को शिकायत की गई। जिस पर विकास अधिकारी, घडसाना द्वारा जांच की गई तब प्रार्थी को उस तथाकथित पट्टे का ज्ञान हुए तो बिना किसी देरी के निगरानी पेश की गई निगरानीकर्ता द्वारा जांच बुझ कर देरी नहीं की है। अतः धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर निगरानी स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 श्री श्याम सुन्दर पाण्डक ने अपनी बहस में लिखित बहस के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 जारी किया गया पट्टा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर ही जारी किया गया है। उक्त पट्टा संयुक्त रूप से राकेश कुमार एवं कृष्णा देवी के नाम से जारी किया है जो 300 वर्गगज तक का जारी किया जा सकता था। स्वयं निगरानीकर्ता 300 वर्गगज का नियममितिकरण स्वीकार करता है, जो कि क्षेत्रफल 175.11 वर्गगज बताया गया है। संयुक्त रूप से जारी किया गया पट्टा नियमानुसार ही है। उक्त पट्टा रास्ता का कतई जारी नहीं किया गया है बल्कि पूर्व कब्जे के आधार पर पट्टा स्वीकृत किया गया है। रास्ता गैरनिगरानीकर्ता के प्लाट पर बंद कर रास्ता स्वीकृत नहीं था व ना ही रास्ता का दस्तावेजी साक्ष्य है। उक्त भूखण्ड पर सरकारी रास्ता या आम रास्ता कभी नही था। पूर्व में रेस्पो0 का मकान, शौचालय, नहाने के स्थान बने हुए थे। रेस्पो0 द्वारा पुराने निर्माण को तोडकर नया निर्माण करवाया गया था। उक्त कब्जा की जांच कर ही पट्टा जारी किया गया हैं। निगरानी में अंकित आवासीय पट्टा भूमि नियमितीकरण

20/11/21
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 05.06.2014 की भूमि में निगरानीकर्ता द्वारा कहीं यह अंकित नही किया वह पट्टा अंकित भूमि में आस पास कहा का निवासी है। अंकित पट्टा अनुसार निगरानीकर्ता का मकान कही आस पास प्रकट नहीं होता। इसलिए निगरानी हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। उसे निगरानी करने का अधिकार नही है। निगरानीकर्ता ने मात्र गैरनिगरानीकर्तागण को परेशान करने व पुरानी रांजिश के चलते यह निगरानी पेश की है। जैर निगरानी पट्टा दिनांक 23.06.2014 को स्वीकृत किया गया है जबकि यह निगरानी दिनांक 21.06.2019 को इस न्यायालय में पेश की गई है। पांच वर्ष देरी से की गई निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज फरवाई जावे।

6. योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर चिन्तन, मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधिनस्थ न्यायालय की संलग्न पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, जिससे पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी निर्णय दिनांक 23.06.2014 के विरूद्ध दिनांक 21.06.2019 को लगभग पांचत वर्ष पश्चात इस न्यायालय में प्रस्तुत को गई है। अपीलांटगण द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपील के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खंडन रेस्पों0 द्वारा प्रति शपथपत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। इसलिये न्याय हित में प्रा.पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की संलग्न पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध वर्तमान वस्तुथिति का नजरी नक्शा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति घडसाना की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.06.2019 व रिपोर्ट के संलग्न विवादित भूमि का मौका नक्शा निगरानीकर्तागण राकेश एवं कृष्णादेवी के पट्टे के पश्चिम की तरफ तथा निगरानीकर्ता हरिकृष्ण के पट्टे से पूर्व की तरफ आम रास्ता को दर्शाता है। उक्त नक्शा से साबित है कि उक्त रास्ता 13.6 गुणा 29 वर्गफुट चौडाई में है। यानि प्रार्थी के घर के आगे 30 फुट सरकारी रास्ता छोडा गया है। मगर गैरानिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने उक्त 30 फुट रास्ता मे से 13.6 गुणा 29 वर्गफुट रास्ता का पट्टा जारी करवा लिया है, जो काबिले निरस्ती है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 के नाम से दिनांक 23.06.2014 को जारी पट्टा संख्या 27 पुस्तक संख्या 20 संकल्प संख्या 03 दिनांक 05.06.2014 में से पश्चिम दिशा में 13.6 फुट गुणा 29 फुट के सरकारी रास्ते का पट्टा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत का रिकार्ड लौटाया जाकर ग्राम पंचायत, 24 एएस 'सी' को निर्देशित किया जाता है निर्णय की पालना 15 दिवस में की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़(सूरतगढ़)

Scanned by CamScanner